# षोडश बिहार विधान सभा

## पंचदश सत्र

## ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-16.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री अवधेश कुमार सिंह, स०वि०स०,<br>श्री मो० आफाक आलम, स०वि०स०<br>श्री सीताराम यादव, स०वि०स०<br>श्रीमती अमिता भूषण, स०वि०स०<br>श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स०<br>श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स०<br>श्री प्रह्लाद यादव, स०वि०स०<br>श्री सैयद अबु दौजाना, स०वि०स०<br>श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी, स०वि०स०<br>श्री फैयाज अहमद, स०वि०स०<br>सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान, स०वि०स०<br>श्री अरूण कुमार, स०वि०स०<br>श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स०<br>श्री फराज फातमी, स०वि०स०<br>श्री मोहम्मद नवाज आलम, स०वि०स०<br>श्री रवींद्र सिंह, स०वि०स० | पूरा विश्व कोरोना वायरस के कारण दहशत में है । गया में बौद्ध मंदिर एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने के कारण विदेशी पर्यटकों का आवागमन सालों भर होते रहता है । इस नाते गया जिला को कोरोना वायरस से ग्रसित होने की ज्यादा संभावना है । पर्यटक स्थलों पर कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु राज्य सरकार कोई समुचित कदम नहीं उठा रही है । गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर जांच की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही गया जिला के बोधगया में फॉगिंग आदि की ठोस एवं प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे राज्य की जनता चिंतित है ।<br>अतएव राज्य हित में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बोधगया, राजगीर वैशाली एवं बिहार के अन्य पर्यटन स्थलों में कोरोना वायरस की जाँच की व्यवस्था करने एवं इस रोग से बचाव हेतु शहरी और ग्रामीण इलाकों में फॉगिंग आदि की समुचित व्यवस्था करने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । | स्वास्थ्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स०<br>डा० राजेश कुमार, स०वि०स०<br>श्री मदन मोहन तिवारी, स०वि०स०<br>श्री शमीम अहमद, स०वि०स०<br>श्री शम्भुनाथ यादव, स०वि०स०<br>श्री लाल बाबू राम, स०वि०स० | राज्य में मूकबधिर दिव्यांगों की संख्या अच्छी खासी है जिसके लिए विशेषज्ञ के तौर पर एन.एम.सी.एच. को अधिकृत किया गया है, लेकिन ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति ई.एन.टी. विभाग में नहीं होने के कारण विशेषज्ञता संबंधी काम एन.एम.सी.एच. द्वारा संपन्न नहीं हो रहा है । राज्य बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को कोचलेयर इम्प्लांट का नोडल सेंटर बनाया गया है ।<br>यह भी उल्लेखनीय है कि ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं होने के कारण एन.एम.सी.एच. ई.एन.टी. विभाग में स्नातकोत्तर की मान्यता एम.सी.आई. द्वारा नहीं दी जा रही है । अप्रैल, 2020 में एम.सी.आई. का निरीक्षण एन.एम.सी.एच. में प्रस्तावित है। अप्रैल से पूर्व भी यदि नियुक्ति नहीं होती है तो फिर इस बार एन.एम.सी.एच. में पी.जी. की मान्यता नहीं मिल पायेगी ।<br>अतः एम.सी.आई. के निरीक्षण यानि अप्रैल, 2020 के पूर्व ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति एन.एम.सी.एच. में किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । | स्वास्थ्य |

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-10/20- 857 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12, मार्च, 2020 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12/3/2020

(राजकुमार राम)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-10/20- 857 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12, मार्च, 2020 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

12/3/2020

(राजकुमार राम)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

12/3/20